बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर–01 के विरूद्ध प्रपत्र "क" में गठित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 (क) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं0–2097 दिनांक–27.07.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। उक्त नियमावली के नियम–17(5) (ग) के अन्तर्गत श्री भुवनेश्वर मिश्रा, तत्कालीन अपर निदेशक, श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार नं0–1, अवर सचिव (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया।

2. आरोपित पदाधिकारी श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना के विरूद्ध प्रपत्र "क" में दो आरोप गठित किए गए थे, जो निम्नवत है :–

(i) केन्द्राधीक्षक, दीपलाल सिंह, प्रा0 आई0 टी0 आई0, गाजापुर, गोह, औरंगाबाद के पत्र सं0–20 दिनांक–25.02.2015 जो दिनांक–20.02.2015 से दिनांक–25.02.2015 तक सम्पन्न हुए अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा फरवरी, 2015 के सेमेस्टर–I एवं II में सम्मिलित हुए प्रशिक्षणार्थियों की सूचना से संबंधित है एवं जिसपर पर्यवेक्षक के रूप में श्री विनय कुमार का हस्ताक्षर है में "परीक्षा संचालन कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई" का उल्लेख है। पुनः श्री विनय कुमार के ज्ञापांक–766 दिनांक–14.03.2015 द्वारा प्रेषित गोपनीय प्रतिवेदन में उक्त परीक्षा केन्द्र की दिनांक–20.022015 से दिनांक–04.03.2015 तक आयोजित परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा की गई है। ये तथ्य अपने आप में परस्पर विरोधाभासी हैं एवं श्री कुमार के सत्यनिष्ठा के अभाव एवं कदाचार में संलिप्तता का द्योतक हैं।

(ii) गोपनीय प्रतिवेदन ज्ञापांक–766 दिनांक–14.03.2015 जो परीक्षा समाप्त होने के दस दिनों के बाद प्रेषित है, में उल्लेखित बिन्दुओं की जानकारी होने के पश्चात् भी पर्यवेक्षक की हैसियत से आपके द्वारा ससमय विभाग एवं जिला पदाधिकारी को सूचित नहीं किया गया जिससे यथोचित कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं, जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

3. श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर–01 के विरूद्ध गठित उपर्युक्त दोनों आरोपों में से संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या–01 को प्रथम द्रष्टया "परीक्षा कदाचार मुक्त होना" किसी दूसरे द्वारा लिखित प्रतीत होने के आधार पर आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य होने का मंतव्य दिया गया है तथा आरोप सं0–02 को गोपनीय प्रतिवेदन देने में हुए विलम्ब के विरूद्ध आरोपी पदाधिकारी के तर्क को सहज न पाते हुए आंशिक रूप से प्रमाणित पाया है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री विनय कुमार से विभागीय पत्रांक–1383 दिनांक–13.06.2016 द्वारा द्वितीय कारण– पृच्छा की मॉग की गई।

4. श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर–01 ने कार्यालय उप श्रमायुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक–1154 दिनांक–27.06.2016 द्वारा समर्पित अपने द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर में आरोप संख्या–01 के संबंध में उल्लेख किया है कि पत्रांक–20 दिनांक–25.02.2015 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन

कृ0पृ0उ0

"Status Report of Examinee" है। प्रतिवेदन के नीचे अंकित "परीक्षा संचालन कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई" वाक्य उनके हस्ताक्षरोपरान्त जोड़ा गया है, जिसकी फोरेन्सिक जॉच की मॉग की। साथ ही अपने पूर्व पत्र संख्या–शून्य दिनांक–10.08.2015 का हवाला देते हुए उन्होंने कतिपय अभिलेखों की अभिप्रमाणित प्रति एवं पत्रांक–20 दिनांक–25.02.2015 की मूल प्रति का अवलोकन कराये जाने की मॉग भी की। आरोप संख्या–02 के संबंध में उन्होंने यह उल्लेख किया है कि परीक्षा दिनांक–04.03.2015 को समाप्त हुई। वे दिनांक–05.03.2015 को पटना आए। दिनांक–05.03.2015 एवं 06.03.2015 को होली का अवकाश था। दिनांक– 07.03.2015 को शनिवार को कार्यालय खुला था। दिनांक–08.03.2015 को रविवारीय अवकाश था। इस प्रकार विभागीय दिशानिर्देश के अनुसार उन्होंने अपनी गोपनीय अभ्युक्ति पत्रांक–766 दिनांक–14.03.2015 परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर (सात कार्य दिवस) उपलब्ध कराया है जो समय–सीमा के अन्दर है।

5. श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर में मॉगे गए कतिपय अभिलेखों एवं पत्रांक–20 दिनांक–25.02.2015 की मूल प्रति अवलोकित कराने संबंधी मॉग को विभागीय पत्रांक–1125 दिनांक–16.05.2017 द्वारा पूरा करते हुए उन्हें संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराते हुए पत्रांक–20 दिनांक–25.02.2015 के मूल प्रति का अवलोकन हेतु पत्र निर्गत किया गया। साथ ही उनसे पुनः स्पष्टीकरण की मॉग की गई। श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–30.05.2017 द्वारा द्वितीय कारण पूच्छा का पूरक उत्तर समर्पित किया जिसमें वे कोई नया तथ्य नहीं दे पाए। उन्होंने द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया है कि छोटे अक्षरों में वाक्य की लिखावट एवं ओभरराईटिंग से स्पष्ट है कि मूल अभिलेख में छेड़–छाड़ कर उन्हें फसाने का कार्य किया गया, परन्तु पत्रांक–20 दिनांक–25.02.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि "परीक्षा का संचालन कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई" में कोई ओवर राइटिंग नहीं है। इस प्रकार आरोप संख्या–01 श्री विनय कुमार पर प्रमाणित होता है। श्री विनय कुमार द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में दिनांक–04.03.2015 से 14.03.2015 के बीच अवकाश एवं कार्यदिवस का उल्लेख करते हुए यह प्रतिवेदित किया था कि विभागीय दिशानिर्देश के आलोक में उनके द्वारा एक सप्ताह के अन्दर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया है। उनका यह कथन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। यदि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई होती तो उनका यह कथन तर्कसंगत प्रतीत होता, परन्तु ऐसी परिस्थिति में जब परीक्षा में अनियमितता हुई थी तब उनसे यह अपेक्षित था कि वे विभाग को अविलम्ब गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराते ताकि विभागीय स्तर से यथोचित कार्रवाई की जाती। इससे उनके विरूद्ध गठित आरोप संख्या–02 की भी सत्यता प्रमाणित है। अतः श्री विनय कुमार के द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर एवं पूरक उत्तर को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके विरूद्ध निन्दन तथा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (संशोधन) यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम–14 (i) तथा 14 (v) के अन्तर्गत निन्दन तथा दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। निन्दन की प्रविष्टि वर्ष 2015–16 की चारित्री में होगी।

कृ0पृ0उ0

7. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री विनय कुमार, श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर–01 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 41/2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध करायें ।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 41/2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 41/2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 41/2011 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

निबंधित

प्रतिलिपि– श्री विनय कुमार, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, पटना सम्प्रति श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि0 आ0– 41/2011 श्र0सं0– 1943 पटना, दिनांक– 02/8/2017

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/आई0/टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के विशेष सचिव